न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(19)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2018/2419 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.02.2018 पारित द्वारा आयक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 84/अपील/2012-13.

श्रीमती सनियाबाई बेवा श्री रामसिंह गोड,
निवासी ग्राम सेमरी हरचंद,
तहसील सोहागपुर, जिला होशंगाबाद ....आवेदक

विरूद्ध

1. जगदीश प्रसाद आ. श्री सुबेदार
   निवासी ग्राम सेमरी हरचंद,
   तहसील सोहागपुर, जिला होशंगाबाद
2. मध्यप्रदेश शासन,
   द्वारा कलेक्टर, होशंगाबाद ....अनावेदकगण

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदक
श्री बलराम पटेल, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/3/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 08.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, सोहागपुर के समक्ष अनावेदक क्र. 1 श्री जगदीश प्रसाद सूबेदार द्वारा दिनांक 04.06.2010 को संहिता की धारा 109, 110 का आवेदन प्रस्तुत किया कि सेमरीहरचंद में भूमि खसरा नंबर 132/3 रकबा 5.00 एकड़ भूमि श्री रामसिंह बल्द श्री ललता गौंड के नाम अभिलिखित है। श्री रामसिंह गौंड अनावेदक श्री जगदीश गौंड

के रिश्ते से चाचा हैं तथा दिनांक 18.08.2005 को श्री रामसिंह द्वारा वसीयत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि में से 4.00 एकड़ अनावेदक श्री जगदीश गौंड तथा 1.00 एकड़ भूमि सनियाबाई के नाम मृत्युपरांत की जाये। श्री रामसिंह का स्वर्गवास दिनांक 18.11.2009 हो जाने से प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत अनुसार नाम दर्ज किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 33/अ-6/2009-10 दर्ज कर दिनांक 22.09.2010 को आदेश पारित करते हुये आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक जगदीश द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.2011 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 22.09.2010 निरस्त कर प्रकरण पुन: सुनवाई हेतु तहसीलदार की ओर प्रत्यावर्तित किया गया। विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार, सोहागपुर द्वारा पुन: उभय पक्षों की सुनवाई कर दिनांक 12.10.2011 को आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका सनियाबाई सनियाबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 04/अ-6/अपील/2011-12 दर्ज कर आदेश दिनांक 23.06.2012 से अपील अमान्य की गई, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि आदेश दिनांक 08.02.2018 से द्वितीय अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 164 के प्रावधानों के विपरीत होने से हस्तक्षेप कर प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के प्रावधानों को समझने में गंभीर कानूनन भूल की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व रिकॉर्ड पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का अवलोकन किये बगैर, रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो बोलता हुआ न्यायिक आदेश न होकर मात्र प्रशासनिक आदेश होने से हस्तक्षेप कर निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व इस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान नहीं दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित आदेश दिनांक 13.07.2011 में दिये गये निर्देशों का पालन किये बगैर तथा समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचना व सुनवाई का

अवसर दिये बगैर संहिता की धारा 164 के प्रावधानों को बला-ए-ताक पर रखते हुए तथाकथित वसीयत को अधिक बल देते हुए जो आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतः औपचारिक होकर शून्य है, फिर भी उक्त अवैधानिक आदेश की पुष्टि कर जो आदेश पारित किया है, वह हस्तक्षेप कर निरस्ती योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व इस विवाद्यक बिंदु की ओर ध्यान नहीं दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व मृतक के वैद्य वारिसानों की जांच किये बगैर तथा हिंदू उत्तराधिकार के प्रावधानों को अनदेखाकर आदेश पारित किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के विधि विपरीत आदेश की पुष्टि करते हुए यह मान्य कर गंभीर कानूनन भूल की है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.06.2012 को प्रश्नगत किये जाने का कोई आधार नहीं है। मान्यकर जो आदेश पारित किया है, वह न्याय की दृष्टि से उचित नहीं है और न ही न्यायोचित।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदिका द्वारा यह निगरानी विधि एवं तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत की है, चूंकि अपर आयुक्त के अपील प्रकरण की अपील प्रस्तुत किया जाना था, न कि निगरानी, प्रथम दृष्टया ही आवेदिका ने न्यायालय को गुमराह करते हुए यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो राजस्व प्रकरण क्र. 84/अपील/2012-13 आदेश दिनांक 08.02.2018 में पारित आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने की संभावना नहीं है, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह विधिसंगत आदेश है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र. 1 को उक्त भूमि ख.नं. 132/3 रकबा 5.00 एकड़ में से 4.00 एकड़, जो कि उसके सगे चाचा स्व. रामसिंह द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामे के अनुसार अनावेदक को प्रदाय की गई है तथा 1.00 एकड़ भूमि आवेदिका को दी गई है। चूंकि आवेदिका अनावेदक के चाचा रामसिंह की विवाहिता पत्नी नहीं है, फिर भी उसे अपनी जीविका उपार्जन हेतु उक्त भूमि में से 1.00 एकड़ भूमि प्रदान की गई है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, वह विधिसंगत आदेश है, उक्त आदेशों में

विधिसंगत आदेश पारित किये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है।

(4) आवेदिका द्वारा अपनी निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित ववाद्यक बिंदु को उठाया गया है कि मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किये गया है, चूंकि अनावेदक एवं आवेदिका हिंदू व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते आते हैं, उक्त समाज अपनी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार ही अपने निर्णय लेते हैं, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया आदेश विधि अनुकूल है, इस कारण भी आवेदिका की निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) उक्त प्रकरण में आवेदिका सनियाबाई का नाम 1.00 एकड़ भूमि पर अंकित है तथा भूमि ख. नं. 132/3/1 रकबा 400 एकड़ भूमि अनावेदक जगदीश प्रसाद के नाम अंकित है, उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश रजिस्टर्ड वसीयतनामा के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय राजस्व प्रकरण क्र. 07/अ-6/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक13.07.2011 को प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुण-दोषों के आधार पर निराकरण किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 23.06.2012 में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश है।

अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत आवेदिका के नाम प्रश्नाधीन भूमि के नाम किये जाने के काफी दिन पूर्व ही लिखी जा चुकी थी। ऐसी स्थिति में मूल भूमि स्वामी की मृत्यु के उपरांत वसीयत को विचार में लिया जाना अपेक्षित था। आवेदिका रामसिंह गौंड की पत्नी थी एवं उसे सामाजिक मान्यता भी प्राप्त रही है। ऐसी स्थिति में वह रामसिंह गौंड के प्रथम श्रेणी वारसान के रूप में अवधारित होती है, लेकिन आवेदिका ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के अवसर दिये जाने के उपरांत भी अवसर का लाभ न लेते हुए कोई भी प्रमाणिक दावा व आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है, जबकि अनावेदक ने वसीयत के दोनों साक्षियों को प्रस्तुत कर वसीयत को प्रमाणित कराया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा उचित एवं वैधानिक आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त

द्वारा भी की गई है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर